झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (शि0) जामताड़ा/PDS–92/2021– 21

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 05/01/2023

विषयः— **जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के जनवितरण प्रणाली दुकानों के संचालन में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री कलिमउद्दीन अंसारी, ग्राम–चिरूडीह, पो0–बांकुडीह, प्रखण्ड–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के जनवितरण प्रणाली दुकान लखी स्वयं सहायत समूह, अनुज्ञप्ति सं0–01/2017 एवं इस्लामिया एस0एच0जी0, अनुज्ञप्ति सं0–04/2010 के संचालन में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत दर्ज की गई है।

अतः प्राप्त शिकायत–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/1/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx254

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(33)

M-S
28/12/22

विषय :– जामताड़ा जिला के तहत नारायणपुर प्रखण्ड में लखी स्वंय सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं इस्लामिया स्वंय सहायता समूह के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि जामताड़ा जिला के तहत नारायणपुर प्रखण्ड के डाभाकेन्द्र पंचायत के एक जनवितरण प्रणाली विक्रेता, लखी स्वंय सहायता समूह लाईसेंस नं0 01/2017 हैं। इस दुकान का संचालन गलत रूप से किया जा रहा है। इस दुकान को महिला समूह के द्वारा संचालन नहीं किया जाता है। संचालन इस समूह के अध्यक्ष के पति एवं पुत्र के द्वारा किया जाता है। मतलब इस पी0 डी0 एस0 दुकान में महिला के स्थान पर पुरूष वर्चस्व है जो पी0 डी0 एस0 कंट्रोल आर्डर 2022 का घोर उल्लंघन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पी0 डी0 एस0 2017 में मनमानी पूर्वक नियम विरूद्ध लिया गया हैं। मार्च–अप्रैल 2017 में इस दुकान अनुज्ञप्ति दी गई है। उस समय 2001 के जनगणना के अनुसार पी0 डी0 एस0 दुकान की अनुज्ञप्ति देने का नियम था। 1000 हजार आबादी पर 2017 में डाभाकेन्द्र पंचायत में कुल 05 (पाँच) दुकान कार्यरत थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार डाभाकेन्द्र पंचायत की जनसंख्या 5098 था जो पाँच दुकान का ही सीट थी लेकिन 2017 के तत्कालीन पदाधिकारियों ने सरकार के नियम को दरकिनार कर अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए एक अतिरिक्त पी0 डी0 एस0 दुकान की अनुज्ञप्ति दे दी गई जो गलत है। उस समय अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी थे। लखी एस0 एच0 जी0 के सचिव को बिना किसी पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना मनमानी पूर्वक निकाल दिया गया है। सचिव लीला देवी पति गणेश रजक को नियम विरूद्ध मनमानी पूर्वक फर्जी तरीके से अध्यक्ष श्रीमती शकुतंला देवी पति द्वारिका रजक ने हटाया है और लखी एस0 एच0 जी के समूह में अधिकांश सदस्य एक ही परिवार का है जबकि एक समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य रह सकता है। लेकिन अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला देवी के पति द्वारिका रजक अपना स्वार्थ सिद्धी के लिए इस तरह का मनमानी पूर्वक कार्य किये हैं। इस दुकान का संचालन अध्यक्ष का पति/पुत्र के द्वारा मनमानी पूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस दुकान का सूचना पटट में अध्यक्ष/सचिव का नाम अंकित नही हैं। इस समूह में नियमित बैठक नहीं होती हैं। एक आवेदन सचिव लीला देवी ने दिनांक 01.06.2022 को उपायुक्त महोदय, जामताड़ा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को दिया गया जो आज तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया।

1188
28.12.22

दुसरा मामला यह है कि नारायणपुर प्रखण्ड के मंझलाडीह पंचायत के इसलामिया एस0 एच0 जी0

P.T.O

32

का भी एक जनवितरण की दुकान है लेकिन इसलामिया एस0 एच0 जी0, पी0 डी0 एस दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या 4/10 है। इस एस0 एच0 जी0 के अध्यक्ष/सचिव एवं अन्य पाँच सदस्य में आपसी मतभेद एवं विवाद चल रहा हैं जो अध्यक्ष सचिव एवं पाँच सदस्य मिलकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को एस0 एच0 जी0 को भंग करने एवं दुकान की अनुज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु आवेदन दिये हैं जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जाँच हेतु दिनांक 16.11.2022 को एम0 ओ0 नारायणपुर को दिये हैं जो आज तक एम0 ओ0 नारायणपुर ने जाँच कर जाँच रिपोर्ट जमा नहीं किये हैं जो गलत है तथा अभी भी गलत रूप से उक्त एस0 एच0 जी0 का दुकान संचालन हो रहा है। दुसरी बात यह है कि पाँच सदस्य एवं अध्यक्ष/सचिव शपथ पत्र में भी लिख कर दिया है कि हमलोग के बीच मतभेद है इसलिए दुकान को तत्काल निरस्त किया जाय।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त लिखित बातों पर ध्यान देते हुए अविलम्ब आप अपने स्तर उक्त दोनों एस0 एच0 जी0 पी0 डी0 एस0 दुकान के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संलग्न :-

1. उपायुक्त महोदय, जामताड़ा को दिया आवेदन की छायाप्रति।
2. शपथ पत्र की छायाप्रति।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया आवेदन की छायाप्रति

आपका विश्वासी

कलीमुद्दीन अंसारी 19/12/2022

कलीमुद्दीन अंसारी
ग्राम–चिरूडीह, पो0–बांकुडीह,
प्रखण्ड–नारायणपुर, भाया+जिला–जामताड़ा
(झारखण्ड) 815351
मो0 9709934619

(81)

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,

जामताड़ा ।

विषय :– नारायणपुर प्रखंड के लखी S.H.G. डोकीडीह, पंचायत – डामाकेन्द्र के द्वारा मनमानी पूर्वक ज0 वि0 प्र0 दुकान का संचालन करने तथा महिला के जगह पुरुष के द्वारा संचाचलन करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि लखी S.H.G. को जन वितरण प्रणाली का एक दुकान दिया है। जिसका L.No. - 01/17 है । अध्यक्ष सकुन्तला देवी, पति – द्वारिका रजक एवं सचिव लीला देवी, पति – गणेश रजक है । कोषाध्यक्ष चाँदमुनी देवी, पति – जगेश्वर रजक, ग्राम डोकीडीह के है। जन वितरण दुकान 2017 में मिला है। जो एक दो माह दुकान का संचालन अध्यक्ष के द्वारा सही रूप किया गया। फिर दो माह के बाद से अध्यक्ष ने अपना मनमानी पूर्वक दुकान संचालन करने लगी । इधन तीन माह पूर्व से हमको बोल रही है कि तुमको (सचिव) सचिव पद से हटा दिये है और मैं दुसरा सचिव चुन लिये है। जो गलत है सचिव को हटाकर दुसरा सचिव चुनना एक वैधानिक प्रक्रिया है। जिससे दुकान का आवंटन भी स्थगित होता है दुकान Running में सचिव बदलना गलत है। मनमानी पूर्वक किये है । लखी S.H.G. के दुकान में सूचना पट्ट में अध्यक्ष एवं सचिव का नाम अंकित नही है, जो गलत है। लखी S.H.G. के अध्यक्ष के पति एवं पुत्र के द्वारा दुकान का संचालन मनमानी पूर्वक सरकार के नियम के विरुद्ध कर रहे है। इस S.H.G. के अधिकांश सदस्य एक ही परिवार के है, जबकि एक समूह में एक परिवार एक सदस्य रह सकता है। लेकिन लखी S.H.G. में ऐसा नियम लागू नही है, मनमानी पूर्वक नियम लागु है। अनाज का वितरण उठाव अध्यक्ष के पुत्र पति के द्वारा किया जाता है तथा मनमानी पूर्वक वितरण कार्डधारियों को वितरण की मनमानी पूर्वक करते है, जो गलत है। S.H.G. का बैठक कभी भी किया नहीं किया है । फर्जी तरीके से कार्य किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उपरोक्त बातों को ध्यान देते हुए अविलंब जाँच कराते हुये लखि S.H.G. के ज0 वि0 दुकानदार के विरुद्ध एंव लखि S.H.G. के P.D.S. की दुकान को रद्द करने की कृपा प्रदान की जाय ।

प्रतिलिपि :–

1. जिला आपूर्ति पदा0, जामताड़ा ।
2. अनुमंडल पदा0, जामताड़ा ।
3. प्रखण्ड विकास पदा0, नारायणपुर ।

आपका विश्वासी

लीला देवी

(लीला देवी)

लखि S.H.G.

ग्राम–डामाकेन्द्र, प्र0–नारायणपुर

जिला – जामताड़ा ।

Received

07/06/2022

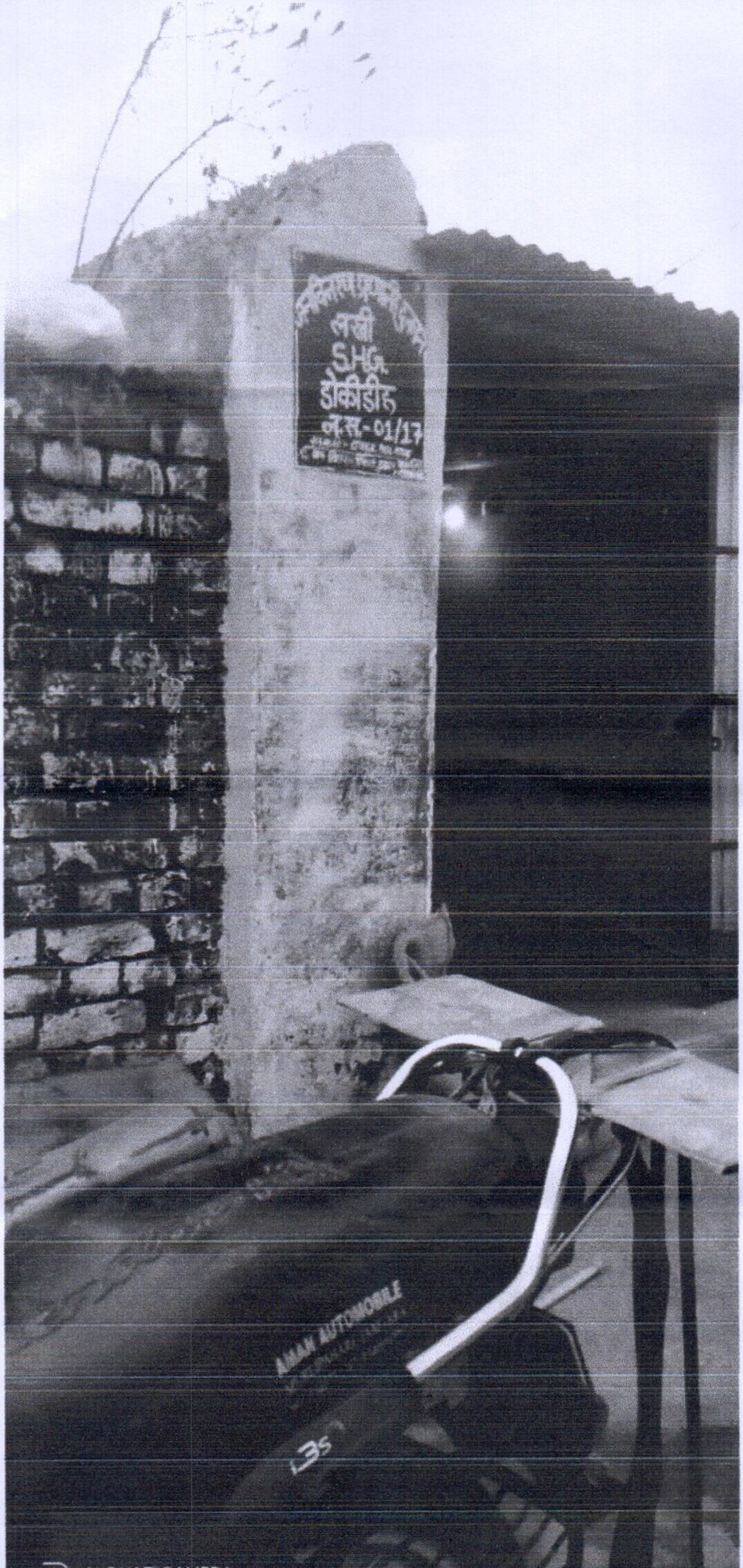
लखी
S.H.G.
डोकीडीह
AMAN AUTOMOBILE
AI QUAD CAMERA

E-PDS. E-PDS. E-PDS.

(29)

donarayanpur22%40gmail.com/KtbxLzGLmnsTBQmCKzmDvHJPhgxnHWSpwL?projector=1&messagePartId=0

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(जिला आपूर्ति शाखा)
पत्रांक....967....../जि0आ0

षक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
जामताड़ा।

वा में,

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
नारायणपुर।

जामताड़ा, दिनांक 17/11/2022

षयः– **इस्लामिया स्वयं सहायता समूह को भंग करने एवं P.D.S अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के संबंध में।**

हाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि इस्लामिया स्वयं सहायता समूह मंझलाडीह अनुज्ञप्ति संख्या–04/10 के अध्यक्ष, सचिव सहित 5 सदस्य के बीच आपसी मतभेद होने के कारण अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा समूह के अनुज्ञप्ति को भंग करने का आनुरोध किया गया है।

अतः इस्लामिया स्वयं सहायता समूह मंझलाडीह अनुज्ञप्ति संख्या–04/10 के अध्यक्ष, सचिव से प्राप्त आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

16/11/22

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जामताड़ा।
16/11/22

Whole Words 1 of 5 matches Reached end of page, continued from top

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
जामताड़ा ।

विषय :– इस्लामिया स्वंय सहायता समूह को भंग करने एवं P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि नारायणपुर प्रखण्ड के तहत् मंझलाडीह पंचायत के इस्लाम मियाँ स्वंय सहायता समूह मंझलाडीह के नाम से एक जन वितरण की दुकान की अनुज्ञप्ति है। अनुज्ञप्ति सं0 – 04/10 है। इस S.H.G. के पाँच अध्यक्ष, सचिव सहीत कुल 5 (पाँच) सदस्य इस S.H.G. से बाहर निकलने का निर्णय लिये है एवं इस S.H.G. को भंग करने का मांग करते हैं तथा इस S.H.G. के नाम से अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का भी मांग करते हैं कारण हम सदस्यों के बीच आपसी मतभेद चल रहा है। जन वितरण दुकान में इसलामिया S.H.G. के अध्यक्ष अबीदन बीबी, पति – इलियास मियाँ, सचिव कुरेशा खातुन, पति – लतीफ मियाँ है तथा अनुज्ञप्ति दोनो के नाम से है जो हमलोग इस P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग करते हैं तथा इस सपूत को भंग करने की मांग करते है। सदस्यों के बीच एक दुसरे में मेल–मिलाप नहीं है, आपसी खींचतान चल रहा है तथा तनाव होते रहता है, इसलिए हमलोग निर्णय लेते है कि अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कारवाई की जाय। एक तरह हम दोनो अध्यक्ष, सचिव इस अनुज्ञप्ति से त्यागपत्र देते है। अन्त तीन सदस्य, महीरन बीबी, पति – हनीफ मियाँ, फुलजन बीबी, पति – समसुल मियाँ, मदीना बीबी, पति – जमसेद मियाँ है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वालो को ध्यान देते हुए इसलामिया स्वंय सहायता समूह के P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय ।

आपका विश्वासी

(1) टीप नि. अबीदन बीबी
(2) फुलजन बिबी टीप. नि. बीबी
(3) मदीना
(4) कुरेशा खातुन
(5) टीप नि. महिरन बिबी

(27)

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
जामताड़ा ।

विषय :- इस्लामिया स्वंय सहायता समूह मंझलाडीह जन वितरण दुकान सदस्यों के बीच मतभेद की संबंध में ।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि इस्लामिया S.H.G. जन वितरण प्रणाली दुकान में 10 मेम्बर (सदस्य) है। सभी सदस्य मिल कर दुकान चलाते थे और सभी सदस्यों के बीच जो लाभ होता था मिलकर बाँट लेते थे । अभी एक साल से अध्यक्ष ने हम सभी सदस्य को जिम्मा दिया है तुम सब मिलकर चलावें, लेकिन कोरेशा बीबी की पति नौसाद मियाँ बोला मेरा सम्पति मेरा दुकान है। नौसाद पहले पुलिस में रिपोर्अ करता था । अभी रिटायर हो गया है। इसलिए अभी हमलोगों को कुछ नहीं देता है। ना हमलोगों को माने रखता है। बोलने से तनाव लाठी-डंडा हो जाता है। न जाने कुभी भी लाठी-डंडा या मडर भी हो सकता है। इसलिए इसलामिया S.H.G. दुकान दो चार महिना वन्द की जाय ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त वातों को ध्यान से देखते हुए इस्लामिया S.H.G. वितरण की दुकान एक दो महिना सस्पेण्ड करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासी

(1) अविदन बीबी टीप नि० अध्यक्ष आविदन बीबी

(2) सचिव
कुरेशा खातुन

सदस्यगण

(3) टी०नि० मर्धरन बीबी

(4) टीप नि० पोदिना बीबी

(5) टीप नि० फुलजन बीबी

(26)

SI No. // 08550

BEFORE NOTARY PUBLIC/EXECUTIVE MAGISTRATE JAMTARA JHARKHAND

NO. 1124 DATE 9/4/2022

AFFIDAVIT

मै, सचिव- कुरेशा खातुन, पति अब्दुल लतिफ, ग्राम- व पंचायत- मंझलाडीह, थाना व प्रखण्ड- नारायणपुर, जिला- जामताड़ा, झारखण्ड।

मै शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि मै उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मै जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान के इस्लामियाँ स्वयं सहायता समूह के सचिव हूँ। जिसका अनुज्ञप्ति सं. 4/10 है।
3. यह कि उक्त एस. एच. जी. दुकान मे कुल 10 सदस्य है जो कि सचिव, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सदस्य के रुप मे नियुक्त है।
4. यह कि उक्त दुकान के सभी सदस्यो के बीच आपसी मतभेद चल रहा है एवं एक दुसरे से मेल मिलाप नही है। आपसी मन मुटाव (खीचातानी) एवं बात-बात पर उठा-पटक होते रहता है इस प्रकार सभी सदस्यो के बीच तनाव रहता है।
5. यह कि इस कारण उक्त एस. एच. जी दुकान मे कभी भी सदस्यो के बीच अप्रिय घटना घट सकती है।
6. यह कि ऐसी स्थिति को देखते हुए मै अर्थात कुरेशा खातुन उक्त दुकान को समर्पण (निरस्त) करने के लिए माननीय जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र दे रही हूँ।
7. यह कि उपर्युक्त कण्डिका 1 से 6 तक की तथ्य मेरी जानकारी मे सही एवं सत्य है।

शपथ-पत्र का विवरण को मै पढा व पढवाकर सुन व समझ बुझ लिया एवं सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर आज दिनांक 09/04/2022 को बना दिया।

IDENTIFIED BY
9/4/2022
ADVOCATE
JAMTARA JHARKHAND

कुरेशा खातुन

M. MAHATO
Notarial Notary Public
Dist. Jamtara
Govt. of India
9/4/2022

NOTARY PUBLIC
M. MAHATO
Reg.-17525/13
JAMTARA
GOVT. OF INDIA

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
जामताड़ा ।

विषय :- इसलामिया स्वंय सहायता समूह को भंग करने एवं P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि नारायणपुर प्रखण्ड के तहत् मंझलाडीह पंचायत के इसलाम मियाँ स्वंय सहायता समूह मंझलाडीह के नाम से एक अन्न वितरण की दुकान की अनुज्ञप्ति है। अनुज्ञप्ति सं0 – 04/10 है। इस S.H.G. के पाँच अध्यक्ष, सचिव सहीत कुल 5 (पाँच) सदस्य इस S.H.G. से बाहर निकलने का निर्णय लिये है एवं इस S.H.G. को भंग करने का मांग करते हैं तथा इस S.H.G. के नाम से अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का भी मांग करते हैं कारण हम सदस्यों के बीच आपसी मतभेद चल रहा है। अन्न वितरण दुकान में इसलामिया S.H.G. के अध्यक्ष अबीदन बीबी, पति – इलियास मियाँ, सचिव कुरेशा खातुन, पति – लतीफ मियाँ है तथा अनुज्ञप्ति दोनो के नाम से है जो हमलोग इस P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की माग करते हैं तथा इस समूह को भंग करने की मांग करते है। सदस्यों के बीच एक दुसरे में मेल–मिलाप नही है, आपसी खींचतान चल रहा है तथा तनाव होते रहता है, इसलिए हमलोग निर्णय लेते है कि अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कारवाई की जाय। एक तरह हम दोनो अध्यक्ष, सचिव इस अनुज्ञप्ति से त्यागपत्र देते है। अन्य तीन सदस्य, महीरन बीबी, पति – हनीफ मियाँ, फुलजान बीबी, पति – समसुल मियाँ, फरीना बीबी, पति – जमसेद मियाँ है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त बातो को ध्यान देते हुए इसलामिया स्वंय सहायता समूह के P.D.S. अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय ।

आपका विश्वासी

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

(4)

FIVE RUPEES

Sl No. // 08549

BEFORE NOTARY PUBLIC/EXECUTIVE MAGISTRATE JAMTARA JHARKHAND

01136 DATE 9/4/2022

AFFIDAVIT

हमलोग:- 1. महिरन बीबी, सदस्य, पति हानिफ मियाँ,

2. गुलजान बीबी, सदस्य, पति समशुल मियाँ,

3. मदिना बीबी, सदस्य, पति जमशेद मियाँ,

सभी ग्राम व पंचायत मंझलाडीह, थाना व प्रखण्ड- नारायणपुर, जिला-जामताड़ा, झारखण्ड।

हमलोग संयुक्त मे शपथपूर्वक ब्यान करते है कि :-

1. यह कि मै उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।

2. यह कि हमलोग जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान के इस्लामियाँ स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण है जिसका अनुज्ञप्ति सं0 4/10है।

3. यह कि उक्त एस॰एच॰जी॰ दुकान मे कुल 10 सदस्य है जो कि सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सदस्य के रुप मे नियुक्त है।

4. यह कि उक्त दुकान के सभी सदस्यो के बीच आपसी मतभेद चल रहा है एवं एक दुसरे से मेल मिलाप नही है। आपसी मन मुटाव(खीचातानी) एवं बात बात पर झगड़ा-झंझट होते रहता है इस प्रकार सभी सदस्यो के बीच तनाव रहता है।

5. यह कि इस कारण उक्त एस॰एच॰जी॰ दुकान मे कभी भी सदस्यो (हमलो के बीच अप्रिय घटना घट सकती है।

6. यह कि ऐसी स्थिति को देखते हुए मै अर्थात हमलोग महिरन बीबी, गुलजान बीबी, एवं मदिना बीबी उक्त दुकान को समर्पण हेतु निरस्त करने के लिए माननीय जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र दे रही हूँ।

7. यह कि उपर्युक्त कण्डिका 1 से 6 तक की तथ्य हमलोगो के जानकारी मे सही एवं सत्य है।

हमलोगो ने शपथ-पत्र का विवरण को पढ़ा व पढ़वाकर सुन व समझ बुझ लिया एवं सही लिखा पाकर अपना-अपना हस्ताक्षर आज दिनांक 09/04/2022 को बना दिया। टीपहि० [redacted] टीपहि [redacted] करिमा खातुन

CENTRAL NOTARY PUBLIC M. MAHATO Reg.-17525/19 JAMTARA GOVT. OF INDIA

9/4/2022
M. MAHATO
Central Notary Public
Dist. Jamtara
Govt. of India

IDENTIFIED BY
9/4/2022
ADVOCATE